

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2014/17(120)/XXVII(8)/2009

देहरादूनः दिनांकः ०५ जनवरी, 2014

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II (ख) में, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

**संशोधन**

अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 35 पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्—  
35. भोजन पकाया हुआ।

(राकेश शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव।

सं० 156 /2014/17(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5—एन०आई०सी०

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)  
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 156 /2014/17(120)/XXVII(8) / 2009, dated ~~04 January~~, 2014 for general information.

~~Feb.~~

**Government of Uttarakhand**

**Finance Section-8**

**NO. /156 /2014/ 17(120)/XXVII(8)/2009**

**Dehradun :: Dated: :~~04 January~~, 2014**

~~Feb.~~

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section 4 of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act 2005(Act No 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act No-I of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Schedule II (B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act 2005.

**Amendment**

In Schedule II (B), at serial number 35, the following entry shall be substituted ; namely-

35. Cooked Food.



(Rakesh Sharma)  
Additional Chief Secretary.